जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर पर दर्ज शिकायत का त्वरित निवारण हो

—— अनुराग भारद्वाज

जयपुर, 28 मई। जयपुर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के सभी वृतों में सही एवं समय पर मीटर रीडिंग के लिए वृत स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक महिने बिलिंग एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर मीटर रीडिंग से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करेगें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 20 स्थानों पर बिलिंग एजेन्सी के कर्मचारियों द्वारा ली गई रीडिंग की निगम के कर्मचारियों द्वारा ऐजेन्सी के कर्मचारियों के साथ चैकिंग भी की जाए।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की 28 मई गुरुवार को विद्युत भवन में प्रबन्ध निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कॉल सेन्टर पर दर्ज होने वाली बिजली शिकायतों का त्वरित निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 26 मई को मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के अनुसार बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा बिजली छीजत को कम करने के लिए सभी अधिकारियों को विशेष प्रयास किए जाये। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी।

श्री भारद्वाज ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देना जैसे नए बिजली कनेक्शन, त्रुटिरहित एवं सही बिजली बिल का समय पर उपभेक्ता को उपलब्ध कराना तथा टी एण्ड लॉसेज को कम करना ये दो मुख्य कार्य है, इन कार्यों में तेजी आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खराब मीटरों को दो माह से अधिक समय तक नही बदलने की वजह से जिन उपभोक्ताओं को बिल में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, इसके लिए जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि सितम्बर, 2014 के बाद विद्युत जनित दुर्घटनाओं में कमी आई है तथा इसमें और कमी लाने के प्रयास करने है। फीडर इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम व सब–स्टेशन इम्प्रूवमेन्ट के तहत होने वाले कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए गए कि तय लक्ष्य के अनुरुप निर्धारित समय में कार्य पूरा करें तथा इस कार्य के लिए सभी आवश्यक सामान की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले बिजली बिल के नए फार्मेट के तहत जुलाई माह से बिल जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

श्री भारद्वाज ने बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे सतर्कता जांच अभियान की जानकारी लेते हुए कहा कि बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इसमें कमी नही आनी चाहिए बल्कि इस कार्य में तेजी लाई जाए तथा सतर्कता अभियान की सख्त मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। बैठक में बकाया घरेलू बिजली कनेक्शन को जारी करने, गारन्टी अवधि में खराब हुए मीटरों को वृत स्टोर जमा करवाने, कन्ज्यूमर इण्डेक्सिंग एवं फीडर मीटरिंग के कार्य, राजस्व वसूली, डीडीयूजीवीवाई एवं आइपीडीएस योजनाओं की डीपीआर तैयार करने की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

बैठक में निदेशक (तकनिकी), मुख्य अभियन्ता, मुख्य लेखाधिकारी एवं निगम के सभी अधीक्षण अभियन्ता उपस्थित रहे।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 228/2015